प्रेस नोट

दिनांक 20.06.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा आरक्षी भर्ती-2023 के अंतर्गत जे0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु आए प्रशिक्षुओं के साथ पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में संवाद स्थापित कर सेवा भाव एवं अनुशासन के लिए किया गया प्रेरित-

गोण्डा। आज दिनांक 20.06.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा आरक्षी भर्ती-2023 के अंतर्गत जे0टी0सी0 (ज्वॉइनिंग ट्रेनिंग कोर्स) प्रशिक्षण हेतु पुलिस लाइन गोण्डा में आए प्रशिक्षुओं के साथ पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में संवाद स्थापित किया गया। इस अवसर पर महोदय ने सभी प्रशिक्षुओं का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस की गरिमा एवं कर्तव्यों से अवगत कराया। उन्होंने प्रशिक्षण की महत्ता को रेखांकित करते हुए अनुशासन, ईमानदारी, संवेदनशीलता और सेवा भावना जैसे मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा दी। प्रशिक्षण के दौरान शारीरिक दक्षता, कानूनी ज्ञान, व्यवहारिक प्रशिक्षण एवं सामुदायिक पुलिसिंग जैसे बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। पुलिस अधीक्षक महोदय ने प्रशिक्षुओं को बताया कि यह प्रशिक्षण उनके भविष्य की नींव है, जिसमें उन्हें केवल एक पुलिसकर्मी नहीं, बल्कि समाज का रक्षक और उत्तरदायित्वशील नागरिक बनने की दिशा में खुद को तैयार करना है। आपका यह प्रशिक्षण न केवल एक पुलिसकर्मी के रूप में, बल्कि एक संवेदनशील, कर्तव्यनिष्ठ और उत्तरदायी नागरिक के रूप में आपके व्यक्तित्व को आकार देगा। महोदय ने प्रशिक्षण के चार मुख्य स्तंभों शारीरिक दक्षता, कानूनी ज्ञान, व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा सामुदायिक पुलिसिंग पर विस्तार से चर्चा की। महोदय ने कहा कि इन सभी पहलुओं पर गहन अभ्यास एवं अनुशासनात्मक अध्ययन, भविष्य में उत्कृष्ट पुलिस सेवा की नींव रखेगा। महोदय ने प्रशिक्षुओं को बताया कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है, किंतु इसके दुरुपयोग से न केवल व्यक्तिगत छवि को बल्कि विभाग की प्रतिष्ठा को भी क्षति पहुंच सकती है। उन्होंने शासन द्वारा जारी सोशल मीडिया नीति/गाइडलाइन की प्रमुख बातों से सभी को अवगत कराया और यह भी स्पष्ट किया कि ड्यूटी के दौरान या यूनिफॉर्म में वीडियो बनाकर पोस्ट करना, विभागीय गोपनीय सूचनाओं को साझा करना या राजनीतिक/विवादास्पद पोस्ट करना सर्वथा वर्जित है। प्रशिक्षुओं ने संवाद के दौरान अपने विचार व अनुभव साझा किए और प्रशिक्षण वातावरण को अनुशासित, प्रेरणादायक एवं सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि जनपद गोण्डा में उन्हें प्रशिक्षण के लिए एक सक्षम एवं समर्पित प्रशिक्षण टीम तथा आवश्यक संसाधनयुक्त वातावरण प्राप्त हो रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को निर्धारित कालांश के अनुसार अंतः व बाह्य विषयों में पूर्ण कराया जाए तथा प्रशिक्षुओं में महिलाओं, बच्चों व पीड़ित व्यक्तियों के साथ सम्यक रूप से यथोचित आचरण/व्यवहार रखने के गुण विकसित किए जाए। प्रशिक्षुओं को समय से वर्दी किट, पी०एन०ओ० आवंटन, बैंक खाता, परिचय पत्र, मानव सम्पदा पोर्टल पर पंजीकरण एवं PRAN आवंटन से संबंधित समस्त प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूर्ण कराई जाएं। शिकायत निवारण प्रणाली सुलभ रहे तथा प्रशिक्षुओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श सहायता की भी व्यवस्था हो। इस संवाद सत्र का मुख्य उद्देश्य आरक्षी भर्ती-2023 के अंतर्गत नवचयनित प्रशिक्षु आरक्षियों को उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा भावना, अनुशासन, कर्तव्यों एवं नैतिक मूल्यों से अवगत कराना था, ताकि वे प्रशिक्षण की इस प्रारंभिक अवस्था में ही पुलिसिंग के मूल सिद्धांतों को आत्मसात कर सकें तथा शारीरिक, मानसिक, नैतिक और व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करते हुए एक उत्तरदायित्वपूर्ण, जनोन्मुखी एवं संवेदनशील पुलिसकर्मी के रूप में तैयार हो सके। जनपद गोण्डा में आरक्षी भर्ती-2023 के अंतर्गत चयनित कुल 771 रिक्रूट आरक्षियों का आवंटन हुआ है। सभी रिक्रूट आरक्षी दिनांक 20.06.2024 से 20.07.2024 तक जनपद में संचालित ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर (JTC) में अपने प्रारंभिक पुलिस प्रशिक्षण में सम्मिलित होंगे ।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस-नोट

दिनांक 20.06.2025

थाना कौड़िया पुलिस द्वारा चोरी करने के 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल बरामद-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना कौड़िया पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-138/2025, धारा 305(ए) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित 02 अभियुक्तों-01. भीमसेन पुत्र बच्चाराम, 02. सुनील कुमार पुत्र श्यामसुंदर, निवासीगण मंगलनगर, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा को रावतारा अंडरपास पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का माल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 18.06.2025 की रात्रि लगभग 10.30 बजे वादी घिर्राऊलाल अपने खेत में बन रहे मकान पर विश्राम कर रहे थे तभी विपक्षीगण सुनील कुमार व भीमसेन (निवासी मंगलनगर, थाना खरगूपुर) ने वहां रखी किर्लोस्कर कम्पनी की मोटर, पैंट में रखा आधार कार्ड व ₹2500 नकद चोरी कर फरार हो गए थे। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कौड़िया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 20.06.2025 को थाना कौड़िया पुलिस द्वारा चोरी करने के वांछित अभियुक्तों- 01. भीमसेन पुत्र बच्चाराम, 02. सुनील कुमार पुत्र श्यामसुंदर को रावतारा अंडरपास पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का माल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. भीमसेन पुत्र बच्चाराम नि0 मंगलनगर, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।

02. सुनील कुमार पुत्र श्यामसुंदर, नि0 मंगलनगर, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-138/2025, धारा 305(ए) 317(2) बीएनएस थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. एक अदद पुरानी मोटर (किर्लोस्कर कम्पनी)

02. एक अदद काला पैंट (पुराना, इस्तेमाली)

03. ₹2500 नगद

04. 01 अदद आधार कार्ड (नाम घिर्राऊ लाल)

05. 01 अदद रिंच

06. 01 अदद कटर

07. 01 अदद सूजा

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अमरजीत सोनकर।

02. का० संदीप सिंह।

03. का० सत्येन्द्र कुमार।

04. का० अनिल कुमार पटेल

मीडिया सेल, गोण्डा